

**समाहरणालय, पटना ।**  
**(जिला भू-अर्जन शाखा)**

फोन नं० 0612-2219233(का०  
फैक्स नं० 0612-2219233  
E-mail-ladpatna@gmail.com

पत्रांक-.....१५...../भू-अर्जन

प्रेषक,

अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
पटना ।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,  
एन०आई०सी०, पटना ।

पटना, दिनांक-.....13/01/2020

विषय:- परियोजना -बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु अधिघोषणा प्रकाशन का समाहर्ता महोदय के वेब-साइट पर डालने के संबंध में ।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 21 में यह स्पष्ट किया गया है कि भू-अर्जन हेतु अधिग्रहीत भूमि का अधिघोषणा प्रकाशन को समाहर्ता के वेब-साइट पर डाला जाय ।

अतः अनुरोध है कि मौजा- पाली पार्ट-01, थाना नं०-156 का अधिघोषणा प्रकाशन को समाहर्ता महोदय के वेब-साइट पर डालने की कृपा की जाय ।

अनु०- अधिघोषणा की छायाप्रति ।

विश्वासभाजन

  
अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
पटना ।

# समाहरणालय, पटना ।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VII

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

## अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक- 68

दिनांक- 13/01/20

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- चेचौल पार्ट-01, थाना सं०- 154, अंचल-नौबतपुर, राजस्व थाना-विक्रम, जिला- पटना में कुल 0.95 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 0.95 एकड़ है और जो मौजा- चेचौल पार्ट-01, थाना सं०-154, अंचल-नौबतपुर, राजस्व थाना-विक्रम, जिला-पटना मे है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1.	308	806	रैयती	कृषि	0.05	सुधीर कुमार पिता विष्णु दयाल सिंह वो रघुवीर सिंह विधार्थी उर्फ रघुवीर सिंह एवं श्रीकान्त सिंह पिता जगनाराण सिंह वो सियाराम सिंह पिता लुटन सिंह, सभी सा०- चेचौल, थाना- नौबतपुर, जिला- पटना।	मौजा निजामपुर का सिमाना	877 अंश	837 अंश	805 अंश
2.	280	837	रैयती	कृषि	0.90	जगनाराण सिंह वो सियाराम सिंह पिता लुटन सिंह, सभी सा०- चेचौल, थाना- नौबतपुर, जिला- पटना।	मौजा निजामपुर का सिमाना	877, 836 अंश	842 अंश	838 अंश

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

13/01/20